UPPG010065752022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी– (पंकज कुमार श्रीवास्तव), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02670**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या ३१९९/२०२२

तौकीर आयु लगभग १९ वर्ष सुत हदीश, निवासी ग्राम– तौकंलपुर, थाना देल्हूपुर, जिला प्रतापगढ़।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर–प्रदेश सरकार व अन्य .....अभियोजन पक्ष।

आवेदक/अभियुक्त तौकीर की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, स्पेशल ट्रायल संख्या– १३०४/२०२२, अ०सं०– ३०/२०२२, धारा ३६३, ३६६, ३७६, १२०बी, ४२० भा.द.वि. व ३/४ पॉक्सो अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा ने प्रभारी थानाध्यक्ष देल्हूपुर, प्रतापगढ़ के समक्ष दिनांक १०.०९.२०२२ को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष जो नाबालिग है प्रार्थिनी के साथ देल्हूपुर बाजार में खरीददारी करने तौकीर सुत हदीस निवासी ग्राम तोकलपुर (जोगीबीर) थाना देल्हूपुर की दुकान पर जाती थी। इसी बीच प्रार्थिनी की पुत्री से जान पहचान हो गयी। प्रार्थिनी की पुत्री को तौकीर ने अपना मोबाइल नम्बर 8175816787 लिखकर चुपके से दे दिया प्रार्थिनी की पुत्री चोरी–चोरी तौकीर से मोबाइल पर बात करने लगी घटना दिनांक 25.08.2022 समय लगभग 3.30 बजे की है। तौकीर शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर दुकान पर बुलाया जब प्रार्थिनी की पुत्री उनके दुकान पर गयी तो तौकीर ने कहा कि फैसल टेलर सुत युसूफ निवासी ग्राम दुबाही की दुकान पर जाओ सिम ले लो। प्रार्थिनी की पुत्री फैसल की दुकान पर गयी तो उन्होंने अपने कारीगर हसीबउल्ला सुत हबीबउल्ला उर्फ बोदल निवासी ग्राम दुबाही को कहा कि जाओ सिम दिला दो तो मुझे हसीब ने अपने आधार से मोबाइल नम्बर 6393951213 दिलाया जो मोबाइल फोन में लगा कर दिया और प्रार्थिनी की पुत्री को कहा कि तौकीर के साथ भाग जाओ प्रार्थिनी की पुत्री को बहला फुसला कर तौकीर ने अपने साथ लेकर भाग गया। दिन भर इधर उधर घूमे रात मे प्रार्थिनी की पुत्री को प्रतापगढ जेल दीवार रेलवे लाइन की तरफ झाड़ी मे सूनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया दो दिन तक जबरन बलात्कार किये और लाकर मऊआइमा में

दिनाक 27.08.2022 को छोड़ दिये प्रार्थिनी की पुत्री जब तौकीर के साथ थी तब फैसल व हसीब से तौकीर बराबर फोन पर बात कर रहे थे प्रार्थिनी की पुत्री को भगाने में फैसल टेलर व हसीब की साजिश थी। सब लोग आपस मे बात करते थे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाय। उक्त सूचना के आधार पर संबंधित थाना में अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे असत्य कथनों के आधार पर परेशान करने के लिए अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सत्यता यह है कि उपरोक्त मुकदमे की पीड़िता प्रार्थी से प्रेम करती थी तथा दोनों लोग शादी करना चाहते थे, परन्तु ईस बीच पीड़िता के घर वाले विवाह हेतु प्रार्थी को ब्लैकमेल करने लगा तथा उससे विवाह पूर्व करीब चार लाख रूपये धोखा देकर प्राप्त कर लिया। जिसमें पीड़िता की मां तथा उनके मामा व परिवार के अन्य लोग थे। प्रार्थी के भाई ने उक्त लोगों को दिये गये रकम को मांगने हेतु मांग किया जिस पर उक्त लोगों द्वारा रकम देने से इंकार कर दिया तथा इस बात की आपसी पंचायत भी हुई। परन्तु पंचायत मैं पीडिता के घर वाले लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गये तथा रकम ने देते हुए विवाह हेतु तय रिशते को खत्म कर दिया और झूठा मुकदमा दर्ज करा दिये। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है और प्रार्थी कभी का सजायाफ्ता भी नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मुकदमें में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में दिनांक १३.०९.२०२२ से निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में रिहा करने की याचना की गयी।

वादी मुकदमा, बाल कल्याण समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नोटिस भेजा गया, जोकि तामील है। बाल कल्याण समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर उपस्थित आये और प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किये। वादी मुकदमा की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए यह कहा गया कि वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग १७ वर्ष को अभियुक्त ने अपने साथियों/सहअभियुक्त के साथ मिलकर साजिशन भगा ले गया और अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार कारित किया। पीड़िता ने अपने १६१ व १६४ जा०फौ० के बयान में अभियोजन कथानक के समर्थन में बयान दिया है। अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है।

अतः अभियुक्त की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

न्यायालय ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग १७ वर्ष को अभियुक्त द्वारा अपने साथियों/सह अभियुक्तगण के साजिश से भगा ले जाने तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने का गंभीर गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने बयान १६१ जा०फौ० में बताया है कि मैं फैसल टेलर की दुकान पर गई तो फैसल, हसीब को बोले जाओ सिम दिला दो फिर हसीब सिम दिलाकर अपनी दुकान पर आ गया। मैं तौकीर की दुकान पर गई तो तौकीर मुझे वहां से इलाहाबाद साथ लेकर चला गया, फिर इलाहाबाद से रात में ट्रेन से प्रतापगढ़ आये फिर प्रतापगढ़ में दो दिन तक इधर–उधर घूमते रहे। **तौकीर प्रतापगढ़ जेल के पीछे झाड़ी में मेरे साथ बलात्कार किया।** पीड़िता ने अपने बयान १६४ जा०फौ० में अपने १६१ जा०फौ० के बयान के पूर्ण समर्थन में बयान दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के बाहरी शरीर पर कोई चोट दर्शित नहीं की गयी है। हाइमन फटा हुआ दर्शित किया गया है। पीड़िता नाबालिग है जिसके बाबत पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है।

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों, पीड़िता की उम्र, अपराध की प्रकृति, दण्ड की मात्रा, संकलित साक्ष्यों तथा मेडिकल रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभियुक्त की कथित भूमिका को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायालय के विचार से अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नही है। अतएव जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त तौकीर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : ११.०१.२०२३

ह०/–
(**पंकज कुमार श्रीवास्तव**)
विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो अधिनियम),
प्रतापगढ़।

स्टेनो–ए.आर.एस.वाई.

Digitally signed by Pankaj Kumar Srivastava
Date: 2023.01.11 11:08:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court